

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017

विषय:- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु0 3,46,28,00,000/- (रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु0 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु0 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु0 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु0 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं0-385(1) दिनांक-29.03.2017, सह-पटित शुद्धि पत्र सं0-112(1)ब0, दिनांक-31.03.2017, शुद्धि पत्र सं0-1249(1) दिनांक-31.10.2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु0 3,46,28,00,000/- (रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्ययादेश सं0-1250(1) दिनांक-31.10.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु0 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु0 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु0 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु0 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा राज्यादेश सं0-385(1) दिनांक-29.03.2017 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0301-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510301 अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6- केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510201 अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विधि-10/2017-54(1)70 /स्वा0, पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग वं निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

सं०सं०-1/विविध-10/2017- 1250(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 31/10/2017

विषय:- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु० 3,46,28,00,000/- (रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु० 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु० 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं०-385(1) दिनांक-29.03.2017, सह-पठित शुद्धि पत्र सं०-112(1)ब०, दिनांक-31.03.2017 एवं शुद्धि पत्र सं०-1249(1) दिनांक-31.10.2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु० 3,46,28,00,000/- (रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद में रु० 26,00,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़) मात्र एवं राज्यांश मद में रु० 17,33,33,000/- (रुपये सत्रह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-385(1) दिनांक-29.03.2017 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

3- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0301-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510301 अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

6- केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510201 अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।


9- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-10/2017 के पृष्ठ-...../टि0 पर प्राप्त है।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-10/2017-1250(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव